



Neutral Citation No. - 2026:AHC:124934

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 16881 वर्ष 2026

अर्जुन त्यागी

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : सुधीर मेहरोत्रा, सुयश मेहरोत्रा

विपक्षी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय अनिल कुमार-एक्स, न्यायमूर्ति

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादी के लिए विद्वान ए.जी.ए. श्री वेद मणि तिवारी को सुना गया।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से इस प्रार्थना के साथ दायर किया गया है कि यह माननीय न्यायालय कृपापूर्वक इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने की कृपा करे और आवेदक को पुलिस थाना पिलखुआ, जिला हापुड़ में मु.अ.सं. (मुकदमा अपराध संख्या) 55 वर्ष 2026, बी.एन.एस. की धारा 310(2), 317(3) के तहत निचली अदालत के समक्ष विचारण के लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा करने की कृपा करे, अन्यथा आवेदक को अपूरणीय क्षति और हानि होगी।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि 31.1.2026 को एक राजमार्ग लूट (हाईवे रॉबरी) की गई थी, जिसके दौरान आवेदक और अन्य लोगों ने कथित तौर पर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सूचनाकर्ता से 64,00,000/- रुपये की राशि लूटी थी। 7.2.2026 तक अपराधियों के ठिकाने और पहचान अज्ञात रहे। उसके बाद, पुलिस को एक मुखबिर के माध्यम से पता चला कि तीन आरोपी व्यक्ति, अर्थात्, दानिश, जुनैद और अकरम, कथित लूट में शामिल थे। तत्पश्चात, 11.2.2026 को, मुखबिर ने चार अन्य आरोपी व्यक्तियों, अर्थात्, रोहन त्यागी, सरफराज, रईस और वर्तमान आवेदक के नामों का खुलासा किया। वर्तमान आवेदक के कब्जे से 4,00,000/- रुपये की राशि कथित तौर पर बरामद की गई थी। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि, अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, लूटे गए मुद्रा नोटों (करेंसी नोटों) के बंडल मोहरबंद (सील) कर दिए गए थे। यह तर्क दिया गया कि यह अत्यधिक असंभाव्य और अविश्वसनीय है कि जिस व्यक्ति ने कथित तौर पर इतनी बड़ी राशि लूटी हो, वह इक्कीस दिनों के बाद भी उसका एक हिस्सा अपने साथ लेकर चलेगा। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान आवेदक, जिसके कब्जे से कथित राशि बरामद की गई थी, उसे 21.2.2026 को गिरफ्तार किया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि संपूर्ण अन्वेषण एक पुलिस मुखबिर द्वारा दी गई जानकारी के इर्द-गिर्द घूमता है। उनके अनुसार, ऐसा साक्ष्य कानून में ग्राह्य नहीं (अस्वीकार्य) है और, इसलिए, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। आवेदक 22.2.2026 से जेल में बंद है। यह तर्क दिया गया कि, जमानत पर रिहा होने की स्थिति में, वह न तो जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा और न ही न्याय की प्रक्रिया से बचेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, राज्य-प्रतिवादी के लिए विद्वान ए.जी.ए. श्री वेद मणि तिवारी ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि वर्तमान आवेदक मुख्य आरोपी है और पूरी घटना का मुख्य साजिशकर्ता है। यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को गिरफ्तार किया गया था और लूटी गई 64,00,000/- रुपये की राशि में से 4,00,000/- रुपये उसके कब्जे में पाए गए थे। विद्वान ए.जी.ए. ने आगे प्रस्तुत किया कि अन्य आरोपी व्यक्तियों, जिन्हें मुखबिर द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर भी गिरफ्तार किया गया था, ने पुलिस के समक्ष वर्तमान आवेदक की भूमिका की पुष्टि करते हुए बयान दिए हैं। इसलिए, यह तर्क दिया गया कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।



5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया। यद्यपि कथित अपराध गंभीर प्रकृति का है और 64,00,000/- रुपये की लूट से संबंधित है, संपूर्ण अभियोजन मामला पुलिस मुखबिर द्वारा दी गई जानकारी के इर्द-गिर्द घूमता प्रतीत होता है। केवल बरामदगी, अपने आप में, किसी व्यक्ति को कथित अपराध के घटित होने में फंसाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है।
6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों, आरोपों की प्रकृति, पत्रावली पर लाए गए साक्ष्य, आवेदक द्वारा हिरासत में बिताई गई अवधि पर विचार करने के बाद, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इसे जमानत देने के लिए एक उपयुक्त मामला पाता है। तदनुसार, जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
7. उपरोक्त मामले में शामिल आवेदक- अर्जुन त्यागी को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए, एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए कि :-
 - (i). आवेदक अन्वेषण या विचारण के दौरान गवाहों को डराकर/दबाव डालकर अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (ii). आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।
 - (iii). आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी अपराध के घटित होने में शामिल नहीं होगा।
8. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय को कानून के अनुसार आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उचित बाध्यकारी उपाय करने और/या उसे दी गई जमानत को रद्द करने की स्वतंत्रता होगी। जमानत बंधपत्रों को स्वीकार करने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक के साथ-साथ प्रतिभूओं की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का विधिवत सत्यापन किया जाए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जून 3, 2026

मुकेश

(अनिल कुमार-एक्स, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।